कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **तहसीलदार, भीलवाड़ा के विरूद्ध राजस्व मामलों में पक्षकार की मदद करने हेतु रिश्वत राशि स्वयं के भाई के खाते में लेने पर प्रकरण दर्ज**
- **तलाशी में लाखों की नकदी तथा रिश्वत के लेनदेन के साक्ष्य व प्रकरण के महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बरामद**

जयपुर, *18 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय स्थित **इन्टेलिजेन्स शाखा द्वारा विकसित सूत्र सूचना** पर सत्यापन के पश्चात आरोपियों के विरूद्ध पी.सी.एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आज मंगलवार को ए.सी.बी. की एस.यू.–प्रथम, जयपुर इकाई द्वारा विभिन्न टीमों सहित कार्यवाही करते हुये आरोपी 1. लालाराम यादव, तहसीलदार भीलवाड़ा 2. दलाल कैलाश धाकड़ एवं 3 मनोज घाकड़ एवं अन्य के 4 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एक महत्त्वपूर्ण सूत्र सूचना मिलने पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा **लालाराम यादव, तहसीलदार तहसील भीलवाडा** एवं उसके दलाल कैलाश धाकड निवासी बिजौलिया पर गोपनीय निगरानी रखी गई। निगरानी से तहसील/उपखण्ड कार्यालय के राजस्व व अन्य मामलों में सांठगांठ कर रिश्वती राशि के लेनदेन का मामला बनना पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में **प्रकरण** दर्ज कर **अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र नैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** के नेतृत्व में ब्यूरो की विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये आज सुबह आरोपियों के 4 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार लालाराम यादव, तहसीलदार भीलवाडा द्वारा अपने दलाल कैलाश धाकड, मनोज धाकड व पक्षकार दीपक चौधरी से सांठगांठ कर एक मामले में तीन लाख रूपये रिश्वती राशि स्वयं के भाई पूरणमल यादव निवासी सेवापुरा चाकसू के बैंक खाते में डलवाना सत्यापन से पाया गया। प्रकरण में आज 1. लालाराम यादव, तहसीलदार भीलवाडा 2. दलाल कैलाश धाकड व उसके पुत्र मनोज धाकड निवासी बिजौलिया 3. दीपक चौधरी निवासी गणेश मंदिर के पास, भीलवाडा 4. श्री पूरणमल यादव, निवासी सेवापुरा चाकसू (तहसीलदार का बडा भाई) के निवास स्थानों की तलाशी ली गई। तलाशी में लालाराम तहसीलदार के भीलवाड़ा स्थित निवास से **5 लाख 37 हजार रुपये नगद** तथा उसके दलाल कैलाश धाकड़ के बिजौलिया निवास से **12 लाख रुपये से अधिक नकद राशि** सहित **कई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज/साक्ष्य** मिले हैं। प्रकरण में रिश्वत देने वाले, बिचौलिये दलाल व रिश्वत मांगने व प्राप्त करने वाले लोकसेवक, सभी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य तलाशी में मिले हैं।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में विभिन्न टीमों द्वारा आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी जारी है। संदिग्धों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।